हरियाणा के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिये अनुदान

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने बिहार, हरियाणा और सिक्किम के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिये **वित्तीय वर्ष 2024-25** के दौरान **पंद्रहवें** वित्त आयोग **(XV FC) अनुदान वितरित किया है।**

मुख्य बिंदु

- **अनुदान का आवंटन:**
  - **हरियाणा:**
    - हरियाणा के ग्रामीण स्थानीय निकायों को **202.47 करोड़ रुपए की अनटाइड अनुदान की दूसरी किस्त प्राप्त हुई।**
    - यह धनराशि 18 पात्र ज़िला पंचायतों, 142 पात्र ब्लॉक पंचायतों और 6,195 पात्र ग्राम पंचायतों के लिये निर्धारित की गई है।
  - **बिहार:**
    - बिहार को **821.80 करोड़ रुपए की अनटाइड ग्रांट की दूसरी किस्त प्राप्त हुई।**
    - ये धनराशि 38 ज़िला पंचायतों, 530 पात्र ब्लॉक पंचायतों और 8,052 पात्र ग्राम पंचायतों को आवंटित की गई है, जिन्होंने रिलीज के लिये अनिवार्य शर्तें पूरी की हैं।
  - **सिक्किम:**
    - सिक्किम को **6.26 करोड़ रुपए की कुल संयुक्त अनुदान की दूसरी किस्त प्राप्त हुई।**
    - ये धनराशि 4 पात्र ज़िला पंचायतों और 186 पात्र ग्राम पंचायतों को आवंटित की गई, जिन्होंने जारी करने के लिये अनिवार्य शर्तें पूरी कीं।
    - **अनटाइड एवं टाइड अनुदानों का उपयोग:**
  - **अप्रतिबंधित अनुदान:**
    - पंचायती राज संस्थाएँ और ग्रामीण स्थानीय निकाय इन अनुदानों का उपयोग संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध **29 विषयों के अंतर्गत स्थान-विशिष्ट आवश्यकताओं के लिये कर सकते हैं।**
    - इन अनुदानों का **उपयोग वेतन और स्थापना लागतों के लिये नहीं किया जा सकता।**
  - **बंधे हुए अनुदान:**
    - इन निधियों का **उपयोग बुनियादी सेवाओं के लिये किया जाना चाहिये,** जिनमें शामिल हैं:
    - स्वच्छता और खुले में शौच से मुक्त (ODF) स्थिति का रखरखाव, जिसमें अपशिष्ट प्रबंधन और मल कीचड़ उपचार शामिल है।
    - पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण।

वित्त आयोग

- यह एक संवैधानिक निकाय **है,** जो संवैधानिक व्यवस्था और वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार **केंद्र और राज्यों** के बीच तथा राज्यों के बीच **कर आय के वितरण की विधि और नियम निर्धारित करता है।**
- संविधान के **अनुच्छेद 280 के** तहत भारत के राष्ट्रपति को पाँच वर्ष के अंतराल पर या उससे पहले एक **वित्त आयोग का गठन करना आवश्यक है।**
- प्रथम वित्त आयोग **की** स्थापना वर्ष 1951 में हुई थी और अब तक पंद्रह **वित्त आयोग स्थापित** हो चुके हैं।

15वाँ वित्त आयोग

- **एन.के. सिंह की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग** का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा 27 नवंबर 2017 को **योजना आयोग की समाप्ति और** वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू होने की पृष्ठभूमि में किया गया था।
- नवंबर 2019 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग **को** पहले **वित्त वर्ष 2020-21 के लिये अपनी पहली रिपोर्ट प्रस्तुत करने** और वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक के लिये अंतिम रिपोर्ट 30 अक्टूबर, 2020 तक प्रस्तुत करने के लिये इसके कार्यकाल को बढ़ाने की मंजूरी दी थी।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/grants-for-rural-local-bodies-of-haryana